राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री , विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2009-2010 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र भूरण्टिया कच्ची बस्ती की 2500 घरों की कॉलोनी के नियमन सहित मूलभूत सुविधाएं विकसित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

II- श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य, विधान सभा, नगर विधान सभा क्षेत्र के झंझार पंचायत स्थित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

III- श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

1- जहाजपुर पंचायत समिति की टीटोड़ा जागीर ग्राम पंचायत के ग्राम जोधपुरिया में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत; एवं
2- फ्लोराईडयुक्त वाले गांवों के लिये धुंवाला–जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत् ।

4. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-13)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

जारी..2..

5. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

डॉ0 रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2013-2014 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2013-2014 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2013-2014 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

6. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

डॉ0 रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2013-2014, प्राक्कलन समिति "क" , 2013-2014, प्राक्कलन समिति "ख", 2013-2014 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

जारी..3..

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

प्रथम अवस्था

अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली
सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 11 मार्च, 2013